



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]
No. 332]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2008/ज्येष्ठ 23, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2008/JYAISTHA 23, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)
(पत्तन स्कंध)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जून, 2008

सा.का.नि. 455(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 12-6-2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 294(अ), दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 323(अ), और दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353(अ) और 21 मई, 2008 की अधिसूचना सा.का.नि. 391(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 के बाद निम्नलिखित को विशाखापट्टणम पत्तन के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :-

तालिका

9.	श्री एस. श्रीनिवासरत्नम न्यु नं. 12/44ए, साउथ वेस्ट बोग रोड, टी नगर, चेन्नई-600017	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।
10.	श्री गोप्पा सत्यनारायण, प्लॉट नं. 27, डोर नं. 75/1, दुर्गा कैलाश नगर, कैलाशापुरम, विशाखापट्टणम-530024	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।
11.	श्री वी. एस. दिवाकर पक्की, 58-3-7/1, रामनाथदू कॉलोनी, मरीफलेम, विशाखापट्टणम-18	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।
12.	श्री गौरव शेखरी, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129-ए, मालवीय नगर, पोपल-462003 ।	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii)(4) में परिकल्पित "अन्य हितों" की श्रेणी के प्रतिनिधि ।

[फा. सं. पी टी-1801/17/2007-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2008

G.S.R. 455(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 190(E) dated 19th March, 2008, No. G.S.R. 294(E) dated 21st April, 2008, No. G.S.R. 323(E) dated 1st May, 2008, No. G.S.R. 353(E) dated 9th May, 2008, No. G.S.R. 391(E) dated 21st May, 2008, read with No. G.S.R. 451 (E) dated 12th June, 2008 the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 8 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam.

TABLE

9.	Shri S. Srinivasarathanam, New No. 12/44A, South West Boag Road, T. Nagar, Chennai-600017	Representing "Other Interests" under Section 3 (1)(c) (i) (7) of MPT Act, 1963.
10.	Shri Gopala Satyanarayana, Plot No. 27, Door No. 75/1, Durga Kailasanagar, Kailasapuram, Visakhapatnam-530024	Representing "Other Interests" under Section 3 (1)(c)(i) (7) of MPT Act, 1963.
11.	Shri V.S. Divakar Pakki, 58-3-7/1, Ramunaidu Colony, Marripalem, Visakhapatnam-18	Representing "Other Interests" under Section 3 (1) (c)(i) (7) of MPT Act, 1963.
12.	Shri Gaurav Sekhri, Federation of Madhya Pradesh, Chamber of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, II Floor, 129-A, Malviya Nagar, Bhopal-462003.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3 (1) (c) (ii) (4) of MPT Act, 1963.

[F. No. PT-18011/7/2007-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.